CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Total Pages	:	**48**
Time	:	**3 Hours**
Maximum Marks	:	**100**

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर का माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

****

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book" and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions in "Question Paper-Cum Answer Booklet" should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

****

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE	
Q.NO.	**MARKS**
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
Examiner's Remarks (if any)	

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINERS

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No.1 **[08 Marks]**

Translate the following sentences into English:

नीचे दिये गये वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएः

(अ) **[2 Marks]**

विधि व्यवसाय अब अत्यधिक मांग वाली वृत्तियों में से एक बन गया है और अब दौयम दर्जे की वृत्ति नहीं रह गया है। हमारी बहु–आयामी विधिक व्यवस्था में मुकदमों की प्रकृति और साथ–ही–साथ विधियों की विविधता तथा निवारण क्रिया–विधि ने सामाजिक आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिवक्ताओं की सहभागिता को बढ़ा दिया है।

(ब) **[2 Marks]**

आपराधिक विचारण में मुख्य चिंता विचाराधीन कैदियों के लिए है वहीं सांसद और विधायक जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विचारण में विलम्ब कारित करना एक भिन्न प्रकार की चुनौती है। ऐसे मामलों में, अभियुक्त विचारण प्रक्रिया को प्रभावित करने, साक्ष्य को दूषित करने तथा कार्यवाही को विलम्बित करने की स्थिति में होता है।

(स) **[2 Marks]**

क्षतिपूर्ति सिद्धांत इस उपधारणा पर आधारित है कि विजेता अपने द्वारा उपगत खर्च से अधिक खर्च वसूल नहीं कर सकता। क्षतिपूर्ति खर्च वास्तविक खर्च की संगणना का आधार या फार्मूला मात्र है। मानक आदेश की दशा में, न्यायालय केवल ऐसे खर्चों को अनुज्ञात करेगा जो मामले या विवाद्यकों के आनुपातिक हों।

(द) **[2 Marks]**

कैदियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या एक अत्यन्त भयानक स्थिति को भी दर्शाता है। कैदी के स्वयं के लिए भी विचाराधीन कैदी के रूप में बिताई गई अवधि या दोषसिद्ध अपराधी के रूप में बिताई गई कारावास की अवधि में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि समाज की घातक निगाहें दोनों के बीच कोई अन्तर नहीं करती हैं।

Question No.2 **[08 Marks]**

Translate the following sentences into Hindi:

नीचे दिये गये वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए:

(A) **[2 Marks]**

If a married woman ventures to go to the Police station to make a complaint against her husband only out of despair and being left with no other remedy against cruelty and harassment. In such a situation, the existing law should be allowed to take its own course rather than over-reacting to the misuse in some cases.

(B) **[2 Marks]**

Power of arrest in a cognizable offence is no doubt a potent weapon to enforce the penal provision. However, this weapon should be sparingly drawn out of its sheath and wielded only if necessary. It shall not be used at the whim and fancy of the investigating officer or be treated as a panacea for checking such offences.

(C) **[2 Marks]**

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. There are no exceptions or limitations on this right. This provision usually applies not only to torture but also cases of severe violence in police custody and poor conditions in detention. It is an absolute right and in no circumstances to torture someone will ever be justifiable.

(D) **[2 Marks]**

In some cases, courts invented various theories to grant relief, by holding that the 'bill of exchange or promissory note' was a collateral security or that it did not contain all the terms of the contract and therefore section 91 of the Evidence Act, 1872 could not exclude oral evidence.

Question No.3 **[08 Marks]**

Write the precis of the following passage in Hindi:
नीचे दिए गये लेखांश का हिन्दी में सार लिखिए:

लोकतंत्र में सरकार के बनाए गए नियमों से ही जनता को चलना होता है। सरकार के नियमों से जीवनयापन की जिम्मेदारी लोक उठाता है। मगर सरकार जब नियम–कानून कायदे बनाती है, तब उससे हर वर्ग और हर विभाग के लिए उसके अनुरूप कानून और कायदे बनाए जाने की अपेक्षा रहती है। विडंबना यह है कि शिक्षा और स्थानीय निकायों को एक ही लकड़ी से हांकने की कोशिश हो रही है। आमतौर पर सरकार में बैठे नौकरशाहों को संबंधित क्षेत्र में हर विषय का विशेषज्ञ माना जाता है। मगर सच यह है कि लोक के प्रतिनिधि जब तंत्र में आते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित निर्णय अभिभावकों और शिक्षाविदों की सलाह से लिए जाएं। इसके बाद शैक्षणिक सत्र या कैलेंडर क्षेत्र विशेष के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। देश के अलग–अलग राज्यों में एक ही समय में मौसम का तापमान अलग रहता है। वहां के मौसम को देखते हुए ही क्षेत्र विशेष में छुट्टियों का फार्मूला तय किए जाने की जरूरत है।

पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि जिला कलेक्टर सर्दी को मद्देनजर रखते हुए संबंधित जिले में स्कूलों की छुट्टियां और समय में परिवर्तन कर सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें शिक्षा सत्र में छुट्टियों के मामले में लगभग एक जैसा ही रुख रखती हैं। जबकि शिक्षा विभाग में अन्य विभागों से छुट्टियां अधिक होती हैं। पिछले दिनों एक जानकारी सामने आई कि स्कूलों में बच्चों के कुल तीन सौ पैंसठ दिन में से एक सौ पैंतालीस दिन अवकाश में बीत जाते हैं। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था अलग है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों के अध्ययन में कोई कमी न हो, इसके लिए छुट्टियों का तालमेल कुछ इस तरीके से बिठाया जाए, ताकि छुट्टियां कम से कम हों। दरअसल, एक विचार यह भी रहा है कि इतने अधिक दिन स्कूल बंद रहने से बच्चों के भीतर सीखने और शिक्षण के बाकी स्तर की नींव कमजोर हो जाती है। इस सिरे से देखें तो अगर पढ़ाई–लिखाई के मामले में बच्चों की नींव कमजोर होगी तो इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। इसके अलावा, अलग–अलग कारणों से जिस तरह स्कूलों में बार–बार छुट्टियां या नियमित कक्षाएं बाधित होती हैं, शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया जाता है, उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है।

Question No.4 **[08 Marks]**

Write the precis of the following passage in English:

नीचे दिए गये लेखांश का अंग्रेजी में सार लिखिए:

According to the findings of the Report, 600% of marriages with NRIs in Punjab were not registered primarily due to factors such as lack of awareness about the importance of marriage registration, time constraints faced by NRIs, and concerns related to the legality of a second marriage of the husband. The study has also highlighted that in Andhra Pradesh, 23% of such marriages were not registered. The primary reason behind this issue, the Report highlights, is that the registration of marriage makes subsequent marriages, solemnized or contracted without obtaining the decree of divorce, non-est in the eyes of the law. A peculiar sociological aspect pointed out by the Report is that these cases are predominantly observed within the Muslim community, which generally lacks a comprehensive registration system.

In these unions, individuals often anticipate greater social security, along with enhanced educational and professional opportunities. However, in their quest for a better future, the parties to such marriages often overlook proper precautions and thorough verification of facts. Unlike traditional marriages that usually involve due diligence, marriages with NRIs may occur hastily without adequate verification of important details such as antecedents, marital status, profession, workplace, and income. Many are arranged without proper verification of the NRI's background, and some transpire without even registering the marriage. This oversight exposes individuals to various risks, including abandonment, domestic violence, extra-marital relations, delays in visa or immigration processes, and even ex-parte decrees of divorce.

The challenges escalate for women who find themselves alone in a foreign country, facing linguistic barriers and lacking a support network of friends and family. In such vulnerable situations, women may endure physical and mental abuse, confinement, malnutrition, and ill-treatment at the hands of their husbands and relatives. Isolation becomes another form of violence, as these women are restricted from contacting their parents and accessing their mailboxes. Fear of this isolation often silences victims, preventing them from speaking out.

Question No.5 **[08 Marks]**

निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में हिन्दी में निबन्ध लिखिए:

(1) इंटरनेट का निलम्बन : कितना सही कितना गलत – किसका लाभ किसकी हानि

(2) मानसिक परिपक्वता की आयु – 16 वर्ष या 18 वर्ष

(3) धर्म का राजनीतिकरण : आवश्यकता या अभिशाप

(4) भारत में खेल : राजनीति की खिचड़ी या खिलाड़ियों का भविष्य

(5) प्रतिस्पर्धा की दौड़ : मूलभूत मानवीय मूल्यों की मृत्यु

Question No.6 **[20 Marks]**

(1) The prosecution case is that the deceased is 22 years old woman (hereinafter referred as 'R'). Sh. Jagdish Kumar is the father of 'R'. According to the prosecution case, the deceased who was working in Lucknow, Uttar Pradesh and staying at the women hostel at Lucknow, visited her parents at Jodhpur, Rajasthan between 22.12.2013 and 04.01.2014. On 04.01.2014 Sh. Jagdish Kumar dropped her at Jodhpur Railway Station at about 5 am. The deceased 'R' boarded the train which was to reach Lucknow early morning on 05.01.2014. The deceased 'R' called her father at 9 pm, on 04.01.2014, when the train was crossing Delhi Station. According to the father of deceased, after reaching Lucknow, 'R' did not contact him. He, however, constantly made attempts to contact her mobile number but there was no response. Sh. Jagdish lodged a missing complaint on 05.01.2014 with Railway Police Station at Jodhpur. Thereafter, he went to police station at Lucknow.

(2) Thereafter, Sh. Jagdish Kumar with the help of police started searching for his daughter and the last signal of the tower location of her mobile was found at Delhi. Ultimately, on 16.01.2014, they found the body of 'R' in the bushes near the Express Highway. The condition of the body was burnt and beyond recognition. Based on the ring in her finger, he identified the body as of his daughter. He lodged a complaint and an FIR was registered.

(3) The investigation officer arranged the dog squad and forensic science experts and proceeded to spot and found decomposed body of a female. He conducted the inquest panchnama and seized the ring. Thereafter, he sent the body for postmortem. A mobile phone with two sim cards, one grey color scarf, red color T-

Shirt, bunch of hair, one knicker and one wrist watch having broken band were found on the spot and the same were seized. With the help of FSL team, investigation officer collected the blood samples, the grass and mud from the spot.

(4) Dr. Vikas Saini, Professor, Forensic Medicine Department, Government Medical College conducted the postmortem between 11 am to 12.30 pm on 17.01.2014. Dr. Vikas Saini noted that rigor mortis was absent. He further noted that evidence of blunt injuries over body and genital injuries seen. According to him the cause of death was due to head injury with smothering associated with genital injuries. After the postmortem, dead body was handed over to the father of the deceased.

(5) Investigating officer collected the CCTV footage from the railway station, Jodhpur which disclosed that the accused Ram Singh was roaming on the platform at 4.30 am on 04.01.2014. In the CCTV footage, it is seen that the deceased had accompanied the accused while at the railway station and she was last seen in the company of the accused Ram Singh. A witness, taxi driver also stated to the investigating officer during investigation that he saw both accused and deceased boarded the train on 04.01.2014. The accused was also seen near the spot on the express way with the trolley bag and a backpack belonging to deceased, though the trolley bag and backpack were never recovered.

(6) Accused Ram Singh was arrested and during the physical search, one xerox copy of the letter in the back pocket of his jeans pant was found, the accused told the Investigating officer that it was kundli (Horoscope). The accused made a disclosure statement and got recovered Identity Card, Spectacles, Eye-liner pencil which was identified by the father of deceased. DNA test also confirmed that eye liner pencil belongs to the deceased. A witness Sh. Vijay Kumar stated to the investigating officer that accused is known to him and he is the Municipal Councillor of the area, the accused confessed to him that he had poured petrol on the dead body of 'R' and set it on fire after committing rape on killing her. DNA of the body was also conducted by matching with the DNA of the father, which confirmed that the body is of 'R'.

(7) Police submitted charge sheet against the accused. The court framed charges and prosecution examined 15 witnesses and exhibited the material seized during the investigation and also exhibited the documents.

(8) Accused examined 4 witnesses in his defence and stated that he has been falsely implicated.

(9) Ld. Public Prosecutor argued that the prosecution case hinges upon circumstantial evidence and the chain of causation is complete against the accused. The accused is last seen with the deceased which is proved from the CCTV footage and the evidence of the person who saw him and deceased together on the date of incident. The witnesses also saw him carry the trolley bag and backpack of the deceased. Certain

materials were also recovered from the accused which belongs to the deceased and identified by her father. The pen drives of the CCTV footage were taken from the server, so there is no need for the certificate under section 65-B of the Indian Evidence Act.

(10) Ld. Counsel of the accused argued that the CCTV footage was transferred from the two pen drives through the aid of computers and these pen drives were produced before the court without a certificate under section 65-B of Indian Evidence Act. So, this CCTV footage contained in the Pen Drives are inadmissible in evidence. The CCTV footage was also not sent for forensic analysis. The statement of the taxi driver under section 161 CrPC were recorded after 2 months and 15 days of the date of incident. The test identification was conducted after 2 months and 25 days of the incident and before the test identification, the photo of accused was shown in the newspapers and in local channels. The person who saw accused with trolley, his statement under section 161 CrPC was recorded after 2 months and 15 days of the date of incident. Trolley and bag were not recovered. The extra judicial confession is not reliable and liable to be discarded. The recoveries of the belongings of the deceased were planted upon the accused. Moreover, the accused cannot be convicted on the basis of recoveries alone. The information under section 27 of the Indian Evidence Act is not proved beyond reasonable doubt as the independent witnesses to the memo of recovery turned hostile, though police witness supports the prosecution case. Lastly, prays to acquit the accused.

Frame charge and write a judgment taking into consideration of the arguments of Public Prosecutor and the Defence Counsel.

प्रश्न संख्या 6

(1) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक 22 वर्ष की महिला है (जिसे आगे "आर" से सम्बोधित किया जाएगा)। श्री जगदीश कुमार "आर" के पिता हैं। अभियोजन के मामले के अनुसार, मृतका जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में काम करती थी तथा लखनऊ में महिला छात्रावास में रहती थी, दिनांक 22.12.2013 तथा 04.01.2014 के बीच अपने माता–पिता के पास जोधपुर आई। दिनांक 04.01.2014 को श्री जगदीश कुमार सुबह 5 बजे उसे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आए। मृतका "आर" ट्रेन में सवार हो गई जिसे दिनांक 05.01.2014 को बहुत सवेरे लखनऊ पहुंचना था। मृतका "आर" ने दिनांक 04.01.2014 को रात्री 9 बजे अपने पिता को फोन किया था, जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन से गुजर रही थी। मृतका के पिता के अनुसार, लखनऊ पहुंचने के बाद "आर" ने उससे संपर्क नहीं किया। हालांकि, वह लगातार उसके मोबाईल पर सम्पर्क करने का प्रयास कर रहा था परन्तु कोई जवाब नहीं आ रहा था। दिनांक 05.01.2014 को श्री जगदीश ने रेलवे पुलिस स्टेशन, जोधपुर पर एक गुमशुदगी की शिकायत लिखवा दी। उसके बाद वह लखनऊ के पुलिस स्टेशन गया।

(2) तदोपरान्त, श्री जगदीश कुमार ने पुलिस की सहायता से अपनी पुत्री की तलाश प्रारम्भ की तथा उसके मोबाईल के सिग्नल की अंतिम टॉवर लोकेशन दिल्ली की मिली। अंततोगत्वा, दिनांक 16.01.2014 को, एक्सप्रैस हाईवे के पास झाड़ियों में उन्हें "आर" की लाश मिली। लाश की हालत जली हुई तथा पहचान से परे थी। उसकी अंगुली में अंगूठी के आधार पर, उसने लाश को अपनी पुत्री के रूप में पहचान किया। उसने एक शिकायत दर्ज कराई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

(3) अन्वेषण अधिकारी ने डॉग स्क्वॉयड और फौरेन्सिक साईंस विशेषज्ञों की व्यवस्था करी और मौके पर गया तथा एक महिला का विघटित शरीर पाया। उसने मृत्यु समीक्षा पंचनामा कराया और अंगूठी को जब्त किया। उसके बाद उसने लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। दो सिम कार्ड के साथ एक मोबाईल, एक सलेटी रंग का दुपट्टा, लाल रंग की टी–शर्ट, बालों का गुच्छा, एक निक्कर तथा एक कलाई घड़ी टूटे हुए बैंड के साथ मौके से बरामद हुए, जिन्हें जब्त किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने एफएसएल टीम की सहायता से मौके से खून के नमूने, घास तथा मिटटी एकत्र की।

(4) दिनांक 17.01.2014 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे के मध्य डॉ. विकास सैनी, प्रोफेसर, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, राजकीय मेडिकल कालेज द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। डॉ. विकास सैनी ने अंकित किया कि बॉडी में अकड़न गायब थी। उन्होंने आगे अंकित किया कि शरीर तथा जननांगों पर भौंटे घाव देखे गये। उनके अनुसार मृत्यु का कारण गला घोटने के साथ सिर पर चोट साथ ही साथ जननांगों की चोट था। पोस्टमार्टम के बाद लाश मृतका के पिता को सौंप दी गई।

(5) अन्वेषण अधिकारी ने रेलवे स्टेशन, जोधपुर से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए, जिससे सामने आया कि दिनांक 04.01.2014 को सुबह 4.30 बजे अभियुक्त रामसिंह प्लेटफार्म पर घूम रहा था। सीसीटीवी फूटेज में, यह भी देखा गया कि रेलवे स्टेशन पर मृतका अभियुक्त के साथ थी और उसे अंतिम बार अभियुक्त रामसिंह के साथ देखा गया। एक साक्षी टैक्सी ड्राईवर ने भी अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को बताया कि उसने दिनांक 04.01.2014 को अभियुक्त और मृतका दोनों को ट्रेन में चढ़ते देखा था। अभियुक्त को एक्सप्रैस वे पर मौके के पास एक ट्रॉली बैग तथा एक पिटठू बैग के साथ भी देखा गया, हालांकि ट्रॉली बैग तथा पिटठू बैग कभी बरामद नहीं किए गये।

(6) अभियुक्त रामसिंह गिरफ्तार किया गया तथा उसकी जामातलाशी से उसकी जींस पैंट की पिछली जेब से एक पत्र की जिरोक्स कॉपी मिली, अभियुक्त ने अन्वेषण अधिकारी को बताया कि यह कुंडली (जन्मपत्री) है। अभियुक्त ने एक स्वीकारोक्ति की तथा पहचान पत्र, चश्मा, आई–लाईनर पैंसिल बरामद करवाई जिसे मृतका के पिता ने पहचाना। डीएनए टैस्ट में भी यह सुनिश्चित हो गया कि आई–लाईनर पैंसिल मृतका की थी। एक गवाह श्री विजय कुमार ने अन्वेषण अधिकारी को बताया कि अभियुक्त उसका परिचित है तथा वह इलाके का पार्षद भी है, अभियुक्त ने उसके सामने जुर्म स्वीकारोक्ति की थी कि उसने "आर" की लाश पर पैट्रोल छिड़का था तथा उसके साथ बलात्कार कर उसे मारने के बाद आग लगा दी थी। पिता के डीएनए से

मिलान कर लाश का डीएनए टैस्ट भी किया गया, जिसमें लाश "आर" की होना सुनिश्चित हुआ।

(7) पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने आरोप विरचित किए तथा अभियोजन ने 15 गवाहान परीक्षित कराए और अन्वेषण के दौरान जब्त सामान को प्रदर्श कराया और दस्तावेजात को भी प्रदर्श कराया।

(8) अभियुक्त ने अपने बचाव में 4 गवाहों को परीक्षित किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है।

(9) विद्वान लोक अभियोजक ने बहस की कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है तथा कार्यों की श्रृंखला अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण होती है। अभियुक्त को अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था जो सीसीटीवी फुटेज और उस व्यक्ति की साक्ष्य जिसने घटना की दिनांक को उसे तथा मृतका को साथ–साथ देखा था, से साबित होता है। गवाहों ने उसे मृतका के ट्रॉली बैग तथा पिटठू बैग ले जाते भी देखा था। अभियुक्त से कुछ समान भी बरामद हुए हैं जो मृतका के थे और उसके पिता ने पहचाना है। सीसीटीवी फुटेज की पैनड्राईव सर्वर से ली गई इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।

(10) अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज दो पैन ड्राईवों में कम्प्यूटर की सहायता से स्थानान्तरित किया गया है तथा ये पैन ड्राईव न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी के प्रमाणपत्र के बिना पेश किए गये हैं। इसलिए, पैन ड्राईव में संकलित सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। सीसीटीवी फुटेज फोरेन्सिक परीक्षण के लिए भी नहीं भेजे गये। टैक्सी ड्राईवर का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयान घटना की दिनांक के दो माह तथा 15 दिन बाद दर्ज किया गया है। शिनाख्ती परेड घटना के 2 माह 25 दिन बाद कराई गई है और शिनाख्ती परेड से पूर्व अभियुक्त की फोटो समाचार पत्रों व स्थानीय चैनल्स पर दिखाई गई थी। जिस व्यक्ति ने अभियुक्त को ट्रॉली के साथ देखा था, उसका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयान घटना की तिथि के 2 माह 15 दिन बाद दर्ज किया गया। ट्रॉली एवं बैग बरामद नहीं हुए हैं। न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति विश्वसनीय नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। मृतका के समान की बरामदगी अभियुक्त पर थोप दी गई हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को एकमात्र बरामदगी के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सूचना को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है चूंकि बरामदगी की फर्द के स्वतन्त्र साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, हालांकि पुलिस गवाहान ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

आरोप विरचित करें तथा लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को विचार में लेते हुए निर्णय लिखिए।

Question No.7 **[20 Marks]**

(1) Anil, Vijay, Rajesh and Kamlesh entered into an agreement to sell with Suresh, Ramlal and Sanjay regarding land admeasuring 130 Acres on 19.03.1994. On the date of agreement, possession to the extent of 65 Acres was delivered to Suresh, Ramlal and Sanjay. Upon the payment of balance sale consideration, the possession of entire property was delivered. A sale deed was not executed. On 28.03.1994, an irrevocable power of attorney was executed in favour of Suresh, Ramlal and Sanjay by Anil, Vijay, Rajesh and Kamlesh.

(2) Suresh and Ramlal executed an agreement to sell on 26.03.1997 in favour of M/S Hakam Singh Pvt. Ltd. regarding land admeasuring 20 Acres for a sale consideration of Rs. 40 lakh. The firm M/S Hakam Singh Pvt. Ltd. paid Rs. 15 lakh as advance and earnest money. The possession of the said land was handed over to the firm.

(3) In the agreement dated 26.03.1997, Anil, Vijay, Rajesh and Kamlesh were referred as "Parties of the First Part". Suresh and Ramlal were referred as the "Parties of the Second Part". The firm Hakam Singh Pvt. Ltd. was referred as the "Purchaser". The recital to the agreement to sell states that "Parties of the First Part" and Sanjay have been made a party to the agreement only to ensure that there is no "cloud over the title."

(4) The relevant clauses of the agreement to sell dated 26.03.1997 are;

(i) The purchaser shall pay balance sale consideration of Rs. 25 lakh within three months from the date of agreement to sell, if the "purchaser" does not pay the balance sale consideration within three months, as stipulated above, the advance amount paid will be forfeited and the agreement to sale will be cancelled. Suresh and Ramlal had to furnish the non-encumbrance certificate, income tax exemption certificate, agricultural certificate to the purchaser within three months.

(ii) The parties of the first part and second part undertake to execute a registered sale deed etc. after receiving the balance sale consideration. The sale deed may be executed any time as per the wishes of the firm.

(iii) The parties of the first part are not at all concerned to sale consideration agreed by the parties of the second part with purchaser as they (first part) already had received the agreed sale consideration as per the agreement dated 19.03.1994.

(5) A second agreement to sell was executed by Ramlal and Suresh in favour of purchaser firm on 27.03.1997 regarding land admeasuring 2 Acres for a sale consideration of Rs. 2 lakh. Rs. 11000/- was paid as advance and possession of the said land was delivered to the firm.

(6) On 08.02.2000, the purchaser issued a legal notice to Ramlal and Suresh calling upon them to receive the balance sale consideration and execute the sale deed. All the balance sale consideration of both the agreements had been paid except Rs. 5 lakh, as the cheque of Rs. 5 lakh given by the purchaser to Ramlal and Suresh was dishonored.

(7) On 14.04.2002, Suresh responded to the legal notice that he has not received the part payment of Rs. 5 Lakh and refused to execute a sale deed.

(8) On 06.07.2002, the purchaser issued another legal notice to all the parties calling upon them to execute the sale deed upon the receipt of the balance sale consideration.

(9) Ramlal and Suresh replied to the legal notice vide letter dated 22.07.2002 claiming that execution is barred by limitation, they were ready with documents as required by the purchaser as per the terms of agreement.

(10) On 09.08.2002, the purchaser M/S Hakam Singh Pvt. Ltd. instituted a suit for specific performance of both the agreements.

(11) During the pendency of suit, the defendant made an application that the cheque of Rs. 5 Lakh has been dishonored. The plaintiff firm deposited the money after the court order.

(12) During the pendency of the suit Ramlal and Suresh further sold the land in question to Amar Singh.

(13) The plaintiff examined himself and witnesses to the agreements in their evidence and produced the agreements in their documentary evidence.

(14) Defendants/seller examined themselves in their evidence.

(15) Ld. Counsel of the plaintiff argued that both the agreements are proved by plaintiff through their documentary and oral evidence. The defendants admitted the execution of agreements. Possession of the land in question was delivered to the plaintiff. All the sale consideration had been paid. Execution of the sale deed in favour of Amar Singh is done during the pendency of suit and so hit by the principle of lis pendens. The plaintiff proved his readiness and willingness to perform his part of contract.

(16) The Ld. Counsel of the defendant argued that the plaintiff have no sufficient funds as the cheque of Rs. 5 lakh given by the plaintiff towards sale consideration has been dishonored. It goes to show that plaintiff was not ready and willing to perform their part of contract. The suit is barred by limitation. The plaintiff did not

implead the subsequent purchaser Amar Singh and so suit cannot be decreed. The time is essence of the contract. The land in question has not been partitioned between the sharers and land cannot be sold without partition.

Frame issues and write a judgment taking into consideration the arguments raised by the counsels of the respective parties.

प्रश्न संख्या 7

(1) अनिल, विजय, राजेश और कमलेश ने सुरेश, रामलाल और संजय के साथ दिनांक 19.03.1994 को भूमि रकबा 130 एकड़ के सम्बन्ध में एक करार किया। करार की दिनांक को 65 एकड़ की सीमा तक सुरेश, रामलाल और संजय को कब्जा दे दिया गया। समस्त विक्रय प्रतिफल के भुगतान पर समस्त भूमि का कब्जा दे दिया गया। विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हुआ। दिनांक 28.03.1994 को सुरेश, रामलाल और संजय के पक्ष में अनिल, विजय, राजेश और कमलेश ने अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा निष्पादित किया।

(2) सुरेश और रामलाल ने दिनांक 26.03.1997 को मै. हाकम सिंह प्रा. लि. के पक्ष में भूमि रकबा 20 एकड़ के सम्बन्ध में रुपये 40 लाख के विक्रय प्रतिफल पर एक विक्रय करार निष्पादित किया। फर्म मै. हाकम सिंह प्रा. लि. ने रुपये 15 लाख अग्रिम राशि एवं बयाना के रूप में अदा कर दिए। उक्त भूमि का कब्जा फर्म को प्रदान कर दिया गया।

(3) दिनांक 26.03.1997 के करार में, अनिल, राजेश और कमलेश को "प्रथम पार्ट के पक्षकार" के रूप में संबोधित किया गया। सुरेश और रामलाल को "द्वितीय पार्ट के पक्षकार" के रूप में संबोधित किया गया। फर्म हाकम सिंह प्रा. लि. को "क्रेता" के रूप में संबोधित किया गया। विक्रय करार के विवरण में कहा गया कि "प्रथम पार्ट के पक्षकार" तथा संजय को करार में पक्षकार केवल यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि "मालिकाना हक पर कोई संदेह" नहीं है।

(4) विक्रय करार दिनांक 26.03.1997 के मुख्य खंड हैं–

(i) विक्रय करार की दिनांक से तीन माह के अंदर क्रेता शेष विक्रय प्रतिफल रु 25 लाख अदा कर देगा, यदि "क्रेता" तीन माह में शेष विक्रय प्रतिफल अदा नहीं करता है, जैसा कि ऊपर विहित है, अग्रिम राशि जब्त हो जाएगी तथा विक्रय करार निरस्त हो जाएगा। सुरेश और रामलाल गैर–भार प्रमाणपत्र, आयकर छूट प्रमाणपत्र, कृषि भूमि प्रमाणपत्र तीन माह में क्रेता को उपलब्ध कराएंगे।

(ii) शेष प्रतिफल राशि प्राप्त होने पर प्रथम पार्ट तथा द्वितीय पार्ट के पक्षकार पंजीकृत विक्रयपत्र के निष्पादन का वचन देते हैं। विक्रयपत्र फर्म के इच्छानुसार किसी भी समय निष्पादित किया जा सकता है।

(iii) प्रथम पार्ट के पक्षकारों का किसी भी प्रकार से कोई वास्ता द्वितीय पार्ट के पक्षकारों द्वारा सम्मत विक्रय प्रतिफल से नहीं होगा क्योंकि वे (प्रथम पार्ट) करार दिनांक 19.03.1994 के अनुसार सम्मत विक्रय प्रतिफल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।

(5) रामलाल और सुरेश ने क्रेता फर्म के पक्ष में दिनांक 27.03.1997 को एक दूसरा विक्रय का करार भूमि रकबा 2 एकड़ के सम्बन्ध में रुपये 2 लाख के विक्रय प्रतिफल के लिए निष्पादित किया। रुपये 11000/– का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया तथा उक्त भूमि का कब्जा फर्म को दे दिया गया।

(6) दिनांक 08.02.2000 को क्रेता ने रामलाल और सुरेश को एक विधिक नोटिस जारी कर उनसे बकाया विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने तथा विक्रय पत्र निष्पादित करने की मांग की। दोनों करारों का समस्त बकाया विक्रय प्रतिफल सिवाय रुपये 5 लाख, अदा कर दिया गया चूंकि क्रेता द्वारा रामलाल और सुरेश को दिया गया रुपये 5 लाख का चैक अनादरित हो गया।

(7) दिनांक 14.04.2002 को, सुरेश ने विधिक नोटिस का जवाब दिया कि उसे रुपये 5 लाख का भागतः भुगतान नहीं मिला और विक्रय पत्र निष्पादित करने से इन्कार कर दिया।

(8) दिनांक 06.07.2002 को क्रेता ने एक अन्य विधिक नोटिस सभी पक्षकारों को जारी कर विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर विक्रयपत्र निष्पादित करने को कहा।

(9) रामलाल और सुरेश ने पत्र दिनांक 22.07.2002 द्वारा विधिक नोटिस का जवाब देकर कहा कि निष्पादन परिसीमा के बाहर है, वे करार की शर्तों के अनुसार क्रेता द्वारा चाहे गये दस्तावेजात के साथ तैयार थे।

(10) दिनांक 09.08.2002 को क्रेता मै. हाकम सिंह प्रा.लि. ने दोनों करारों की विनिर्दिष्ट पालना का वाद प्रस्तुत कर दिया।

(11) वाद की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रुपये पांच लाख का चैक अनादरित हो गया था। वादी फर्म ने न्यायालय के आदेश के बाद राशि जमा करा दी।

(12) वाद की सुनवाई के दौरान रामलाल और सुरेश ने प्रश्नगत जमीन को पुनः अमर सिंह को बेचान कर दिया।

(13) वादी ने स्वयं को तथा करार के गवाहान को अपनी साक्ष्य में परीक्षित कराया तथा करारों को अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत किया है।

(14) प्रतिवादीगण/विक्रेतागण ने स्वयं को अपनी साक्ष्य में परीक्षित कराया।

(15) वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी ने अपनी दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य से दोनों करारों को साबित किया है। प्रतिवादीगण ने करारों का निष्पादन स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया गया था। समस्त विक्रय प्रतिफल का भुगतान हो चुका है। अमर सिंह के हक में विक्रयपत्र का निष्पादन वाद के लम्बन के दौरान किया गया है,

इसलिए लिस पेंडेंस के सिद्धान्त से बाधित है। वादी ने संविदा के अपने भाग की पालना करने की तत्परता और इच्छा साबित की है।

(16) प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी के पास पर्याप्त राशि नहीं थी चूंकि विक्रय प्रतिफल के रूप में वादी द्वारा दिया गया रुपये पांच लाख का चैक अनादरित हो गया। यह साबित करता है कि वादी संविदा के अपने भाग की पालना करने को तैयार और इच्छुक नहीं था। वाद परिसीमा से बाधित है। वादी ने उत्तरवर्ती क्रेता अमर सिंह को पक्षकार नहीं बनाया है और इसलिए वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। समय संविदा का मर्म है। प्रश्नगत भूमि का बंटवारा हिस्सेदारों के मध्य नहीं हुआ है और बंटवारे के बिना भूमि का बेचान नहीं हो सकता।

विवाद्यक विरचित कीजिए और दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस को विचार में लेकर निर्णय लिखिए।

HS-24 P-4

Question No.8 **[10 Marks]**

(I) "Whether an LMV License Holder is legally competent to drive Transport Vehicles weighing less than 7,500 kgs?"

Elucidate the statement with reference to the decision of Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 841/2018, M/S. BAJAJ ALLIANCE GENERAL INSURANCE CO.LTD. vs RAMBHA DEVI, 2024 INSC 840 Judgment dated 06, November, 2024

OR

(II) "Forcing marginalised caste inmates to perform tasks like cleaning latrines or sweeping, without providing them any choice in the matter amounts to "forced labour" under Article 23 because it strips individuals of their liberty to engage in meaningful work, and denies them the opportunity to rise above the constraints imposed by their social identity."

Elucidate the statement with reference to the decision of Hon'ble Supreme Court of India in SUKANYA SHANTHA vs UNION OF INDIA, W.P.(C) No. 1404/2023, 2024 INSC 753 Judgment dated 03, October, 2024

प्रश्न संख्या 8

(I) "क्या एक एलएमवी अनुज्ञप्तिधारी 7500 किलोग्राम से कम वजन के परिवहन वाहनों को चलाने में विधिक रूप से सक्षम है?"

इस कथन की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सी.ए. नम्बर 841/2018 मै. बजाज एलायन्स जनरल इन्श्योरेंस क. लि. बनाम राम्भा देवी, 2024 आईएनएससी 840 निर्णय दिनांक 06 नवम्बर 2024 के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

अथवा

(II) "हाशिए पर पड़ी जाति के लोगों को शौचालय साफ करने या झाड़ू लगाने जैसे काम करवाना, उन्हें इस मामले में कोई विकल्प दिए बिना, अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत "जबरन श्रम" के बराबर है क्योंकि यह व्यक्तियों के सार्थक काम करने की उनकी स्वतन्त्रता छीन लेता है, और उन्हें उनकी सामाजिक पहचान द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों से ऊपर उठाने के अवसर से वंचित करता है।"

इस कथन की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नम्बर 1404/2023 सुकन्या शान्था बनाम भारत संघ, 2024 आईएनएससी 753 निर्णय दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

Question No. 9 **[10 Marks]**

(I) "Whether State Bar Councils can charge a higher enrollment fees than set out in the Advocates Act?"

Elucidate the above said question with reference to the decision of Hon'ble Supreme Court of India in GAURAV KUMAR vs UNION OF INDIA, W.P.(C) No. 352/2023, 2024 INSC 558, Judgment dated 30, July, 2024

OR

(II) "Whether an accused can be required to share his location on Google Maps as a bail condition?"

Elucidate the above said question with reference to the decision of Hon'ble Supreme Court of India in FRANK VITUS vs NARCOTICS CONTROL BUREAU, Crl.A. No. 2814-2815/2024, 2024 INSC 479, Judgment dated 08, July, 2024.

प्रश्न संख्या 9

(I) "क्या राज्य बार काउन्सिल अधिवक्ता अधिनियम द्वारा निर्धारित फीस से अधिक नामांकन शुल्क ले सकते हैं?"

उक्त प्रश्न की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरव कुमार बनाम भारत संघ, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 352/2023, 2024 आईएनएससी 558, निर्णय दिनांक 30 जुलाई 2024 के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

अथवा

(II) "क्या एक अभियुक्त को जमानत की एक शर्त के रूप में गूगल मैप पर उसकी लोकेशन साझा करना आवश्यक किया जा सकता है?"

उक्त प्रश्न की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फ्रैंक वीटस बनाम नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, क्रिमिनल अपील संख्या 2814–2815/2024, 2024 आईएनएससी 479, निर्णय दिनांक 08 जुलाई 2024 के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

* * * * * * * * *

SPACE FOR ROUGH WORK/रफ कार्य हेतु स्थान